Ruling Re: Point of Order Under Rule 198(2)

माननीय सभापति : मैं इसके बारे में आपको माननीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार रूलिंग देता हूं। मैं सभा का ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियमों के नियम 198 के उपनियम (2) की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। जिसमें यह उपबंध है कि जब एक बार उक्त नियम के अंतर्गत अनुमति प्रदान कर दी जाती है, तो प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नियत की जाएगी, जो ऐसी अनुमति प्रदान किए जाने के दिन से 10 दिन के भीतर होगी। परंपरा के अनुसार सभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति प्रदान किए जाने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष, सभा के नेता और राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श करते हैं, तथा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख और समय निर्धारित करते हैं। धन्यवाद।

?(व्यवधान)

15.02 hrs